

प्रादेशिक नियोजन एवं भूगोल

भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः दो तथ्यों का विश्लेषण होता है। ये हैं

1. मानव एवं पर्यावरण संबंध, तथा
2. पृथ्वी से संबंधित अवयवों का प्रादेशिक वितरण।

प्रादेशिक वितरण में विषमता पायी जाती है। यह विषमता प्राकृतिक कारकों के साथ-साथ मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। इसी विषमता को दूर करने के लिए प्रादेशिक नियोजन का कार्य किया जाता है। गैलियन (Galpin) मद्देय के अनुसार नियोजन का तात्पर्य स्वास्थ्य अर्थात् स्वास्थ्य पर्यावरणीय परिस्थिति सम्पत्ति अर्थात् संसाधनों का सही उपयोग और उचित कार्यात्मक संरचना एवं सुन्दरता अर्थात् शक्यतः निर्मित क्षेत्र एवं जीवनशैली का विकास है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रादेशिक नियोजन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। प्रादेशिक नियोजन का उद्दिष्ट 1862 ई० से शुरु होता है, लेकिन सही अर्थ में भौगोलिक तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रादेशिक नियोजन का कार्य बीसवीं शताब्दी में प्रारम्भ किया गया। 1863 ई० में National Health Commission का गठन ब्रिटेन में और 1914 ई० में जैडिस ने नियोजन पर एक लेख लिखा। नेशनल हेल्थ कांफ्रेंस का रिपोर्ट ही प्रादेशिक नियोजन का आधार बना।

भूगोल अपनी प्रविधि से निम्नांकित रीतियों से नियोजन को श्रेष्ठान प्रदान करता है:

1. भू-उपयोग सर्वेक्षण, मानचित्रण और विश्लेषण
2. भू-उपयोग परियोजना, मानचित्रण और विश्लेषण
3. प्रदेश का परिसीमन

National Health
Commission

प्रारंभिक एवं प्रादेशिक नियोजन

4. जनगणना तथा सांख्यिकीय संकलन के लिए सूचनाओं का प्रादेशिक विवरण
5. सेवाओं का प्रादेशिक विवरण
6. विशेष समस्याएँ

प्रादेशिक नियोजन की प्रथम अनिवार्यता है किसी क्षेत्रीय इकाई का निर्धारण यह कार्य सर्वत्र भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया जाता रहा है। अतः प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत का आधार ही भौगोलिक भूव्यापण है। आधिकारिक प्रादेशिक नियोजकों के अनुसार प्रदेश निर्धारण के बाद उसके विकास के तीन स्तम्भ होते हैं -

1. जनसंख्या
2. संसाधन, तथा
3. पर्यावरण

और ये तीनों ही स्तम्भ भौगोलिक आधारशील पर भव्य हैं। अतः भौगोलिक ज्ञान के बिना प्रादेशिक नियोजन का कार्य लगभग असंभव है।

है कि प्रादेशिक नियोजकों के लिए यह आवश्यक है कि वह वर्तमान जनसंख्या के निविध प्रकार के स्तम्भों के मूल्यांकन करे और पर्यावरणीय परिवर्तन में दीर्घकालीन शाश्वत विकास नीति का निर्धारण करे।

प्रादेशिक नियोजन के उपागम

अधिकतर प्रादेशिक नियोजक, प्रादेशिक वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ताओं ने प्रादेशिक नियोजन के वि. लि. मा. उपागम बताये हैं -

१. नदी बेसिन उपागम

२. नगर प्रदेश उपागम

३. आर्थिक-प्रादेशिक उपागम

4. पदानुक्रमिक प्रादेशिक नियोजन अर्थात् बहुस्तरीय नियोजन

5. विशेष क्षेत्र नियोजन (विभाग व/व्य विकास)

6. समन्वित क्षेत्र विकास (विभाग)

7. पंचायती राज (विभाग)

8. शाश्वत नियोजन (विभाग)

अतः ऊपर के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत एवं देशों में जहाँ बहुस्तरीय प्रादेशिक नियोजन की नीति अपनायी गयी है। लेकिन वर्तमान समय में पंचायती राज नियोजन, वित्त विकास नियोजन और वाटरशेड प्रबंध जैसे लघुस्तरीय प्रादेशिक नियोजन को प्राथमिक मान्यता दी गई है।